न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :—गीतेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 92/2021 (उदयपुर डिक्री)

फूलशंकर पिता श्री अम्बालाल मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री अशोक कुमार चापावत (जैन), निवासी फलासिया, तहसील झाड़ोल, जिलाउदयपुर (राज.)
2. सुरेश कुमार पिता श्री रामलाल मेहता, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. प्रतापलाल पिता श्री सगलीराम मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :—

3/1. श्रीमती देवुबाई पत्नी स्व. प्रतापलाल मेनारिया, निवासी 283, घाटी की मगरी, पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3/2. धीरज पिता स्व. प्रतापलाल मेनारिया, निवासी 283, घाटी की मगरी, पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3/3. श्रीमती खुशबू पुत्री स्व. प्रतापलाल पत्नी श्री मनोहर मेनारिया, निवासी 283, घाटी की मगरी, पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4. महेन्द्र कुमार पिता श्री भीमलाल मेनारिया, निवासी पानेरियों की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त0 अधि0—1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिन[illegible]2017 [illegible]

———::———

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:52 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :— 1—श्री हुकम सिंह देवड़ा अभिभाषक अपीलान्ट
2—श्री संजय [illegible] 3/4
3— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

निर्णयदिनांक13—06—2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

का प्रस्तुत कर निवेदन किया किमौजा पानेरियों की मादडी, तहसील गिर्वा में वादीया के स्वामित्व, आधिपत्य एवं सहखातेदारी की आराजी नंबर 680 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीया का 1/4 हिस्सा निहित है, जो वादीया ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19–10–2005 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, तब से वादीया मालिक काबिज हैं।उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है, फिर भी वह अपने बाहुबल के प्रभाव से वादीया के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उक्त आराजी का वादीया के पूर्व हितधारी एवं खातेदारान के मध्य बंटवारा पूर्व में दिनांक 31–01–2004 को हो चुका है, उसी अनुसार वादीया मौके पर काबिज है। अतः वादीया का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादिया की उक्त जमीन में जबरन प्रवेश नहीं करें एवं किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें, न किसी अन्य से करावें।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक11–07–2017 से वादीया का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/ प्रतिवादी संख्या 2द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–12–2021 कोप्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3/1 से 3/4 की ओर से वकील श्री संजय सेन तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।पक्षकारान द्वारा दिनांक 16–05–2023 को राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:52 IST
Reason: SelfAttested

वकील अपीलान्ट ने अपील के स[illegible]धारा [illegible] मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा बता[illegible] अधिनस्थ [illegible]लय ने अपीलान्ट को बिना सूचना दिये प्रकरण राजस्व कैम्प [illegible] किया है, जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, उभयपक्ष द्वारा दिनांक 16–05–2023 को राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजीनामा मुताबिक अपील डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उक्त राजीनामें एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट स्वयं राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहते हैं एवं राजीनामें अनुसार निर्णय व डिक्री पारित कराना चाहते हैं। राजीनामा फूलशंकर एवं श्रीमती सुनीता देवी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अन्य पक्षकारान का उक्त राजीनामें में कोई जिक्र नहीं है, न ही उनके हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में राजीनामें अनुसार निर्णय कर डिक्री पारित किया जाना संभव नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 11–07–2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प सवीना में निर्णय पारित किया गया है। राजस्व लोक अदालत में सुनवाई के दौरान केवल वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ही उपस्थित थी तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई राजीनामा इत्यादि उपलब्ध नहीं है, जबकि उक्त निर्णय बिना राजीनामें के लोक अदालत में पारित किया गया है। सुनवाई के दौरान समस्त पक्षकार भी उपस्थित नहीं थे। इससे साबित होता है कि यह निर्णय लोक अदालत की भावना के खिलाफ पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–07–2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 13–06–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:52 IST
Reason: SelfAttested

(गीतेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर